



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938

No. 792]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1068(अ).--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114ख में, सारणी में, क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संव्यवहार का मूल्य
(1)	(2)	(3)
"10.	निम्नलिखित के पास जमा,-- (i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत	नकद जमा,-- (i) किसी एक दिन के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक ; या (ii) 9 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की

उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; (ii) डाकघर	कालावधि के दौरान कुल मिलाकर दो लाख पचास हजार रुपए ; या”
--	---

3. उक्त नियमों में, नियम 114ड में,—

(i) उपनियम (2) में सारणी में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति और मूल्य	व्यक्ति का वर्ग (रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)
(1)	(2)	(3)
“12.	9 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की कालावधि के दौरान नकद जमा— (i) किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खाते में बारह लाख पचास हजार रुपए या अधिक ; या (ii) किसी व्यक्ति के (चालू खाते से भिन्न) एक या अधिक खातों में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक ।	(i) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ज) में यथानिर्दिष्ट महा डाकपाल ।” ;

(ii) उपनियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उपनियम (2) के अधीन सारणी में क्रम सं. 12 में सूचीबद्ध संव्यवहारों के संबंध में वित्तीय संव्यवहार की विवरणी 31 जनवरी, 2017 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।”

[अधिसूचना सं. 104/2016/फा. सं. 370142/32/2016-टीपीएल]

डॉ. टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3399(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2016 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 1068(E).—In exercise of the powers conferred by section 285BA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- (1) These rules may be called the Income-tax (30th Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 114B, in the Table, for serial number 10 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sl.No.	Nature of transaction	Value of transaction
(1)	(2)	(3)
"10.	Deposit with,- (i) a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office.	Cash deposits,- (i) exceeding fifty thousand rupees during any one day; or (ii) aggregating to more than two lakh fifty thousand rupees during the period 09 th November, 2016 to 30 th December, 2016."

3. In the said rules, in rule 114E, —

(i) in sub-rule (2), in the Table, after serial number 11 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl.No.	Nature and value of transaction	Class of person (reporting person)
(1)	(2)	(3)
"12.	Cash deposits during the period 09 th November, 2016 to 30 th December, 2016 aggregating to — (i) twelve lakh fifty thousand rupees or more, in one or more current account of a person; or (ii) two lakh fifty thousand rupees or more, in one or more accounts (other than a current account) of a person.	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).";

(ii) in sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided the statement of financial transaction in respect of the transactions listed at serial number (12) in the Table under sub-rule (2), shall be furnished on or before the 31st day of January, 2017."

[Notification No. 104/2016/F. No. 370142/32/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification S.O. 3399(E), dated 07th November, 2016.